न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 55/2022 दायरा दिनांक : 23.05.2022

उनवान

1– ललिता बाई पत्नी श्री नन्द किशोर शर्मा

2– सीताराम शर्मा पुत्र श्री नन्द किशोर शर्मा

3– प्रवीण शर्मा पुत्र श्री नन्द किशोर शर्मा

4– कमलेश शर्मा पुत्र श्री नन्द किशोर शर्मा

5– सन्तोष बाई पुत्री श्री नन्द किशोर शर्मा

6– दीपिका शर्मा पुत्री श्री नन्द किशोर शर्मा

7– सीमा शर्मा पुत्री श्री नन्द किशोर शर्मा

जाति ब्राहमण, निवासीगण पुराना तहसील रोड़ पदमनाथ मन्दिर के पास, पिडावा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– यास्मीन शाह वल्द यासीन शाह, जाति फकीर मुसलमान, निवासी जामा मस्जिद के सामने मुगलपुरा, पिडावा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड (राज0), जर्ये नियुक्त मुख्मार आम पुत्र अब्दुल कय्यूम अली वल्द यास्मीन शाह, जाति फकीर मुसलमान, निवासी जामा मस्जिद के सामने, मुगलपुरा पिडावा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रेकार्डकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

2– राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार पिडावा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित –श्री महेश योगी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से

निर्णय दिनांक : 27.09.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या – 34/2022 निर्णय दिनांक 29.03.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि ग्राम पिडावा, तहसील पिडावा की आराजी खसरा नम्बर 36 रकबा 0.5817 हेक्टर वादग्रस्त भूमि स्थित है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर उसी कार्य दिवस में प्रकरण की आकस्मिकता को देखते हुए बिना नोटिस दिये एवं सुनवाई के अधिकार से वंचित करते हुए जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थी कम 3 को पाबन्द फरमा दिया गया, जिससे अप्रसन्न हो अपीलांट ने यह अपील पेश की। अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय न्याय संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के विपरीत निर्णय पारित किया है।

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण रूप से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लघन किया है जिस दिन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होता है, उसी दिन बिना रेकार्ड का अवलोकन किये ही अपीलांट कम 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया जाता है और आगामी पेशी तक मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पेश दिनांक 10.5.2022 अंकित कर दी जाती है जबकि अन्तरिम आदेश दिये जाने के समय एक महीने से ज्यादा की तारीख पेशी अंकित नहीं की जा सकती है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भी इस प्रकार के दिशा निर्देश है कि वाद प्रस्तुति के समय एक तरफा सुनवाई किये जाने के वक्त जब तक अप्रार्थीगण को नोटिस की तामील नहीं हो जाती तब तक एक महीने से ज्यादा की तारीख पेशी अंकित नहीं की जाकर किसी भी तरह का अन्तरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अन्तरिम आदेश पारित करने से पूर्व अप्रार्थीगण को एक माह से कम की तारीख पेशी अंकित कर नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है परन्तुयहां पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रकरण के प्रस्तुतिकरण के समय ही सुनवाई के अधिकारों से वंचित कर एक तरफा निर्णय पारित करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को पूर्णतया निस्तारण ही कर दिया है । जबकि अधीनस्थ न्यायालय का जो निर्णय है वह अस्थाई निषेधाज्ञा के तथाकथित बिन्दु पथम दृष्टया प्रकरण होना, सुविधा का सन्तुलन होना व अपरिमित क्षति तीनों बिन्दुओं का निर्धारण करते हुए अपनी आदेशिका में उल्लेख किया जाना आवश्यक होता है । जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा न कर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र जर्ये मुख्तार आम प्रस्तुत किया गया है, ऐसे प्रकरणों को न्यायालय द्वारा भली–भांति देखना होता है कि प्रकरण की वास्तविक स्थिति क्या है, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये तथ्यों से अनजान रहते हुए जिस प्रकार से अन्तरिम सहायता के लिये अस्थाई

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निषेधाज्ञा जारी की है पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कृषि आराजी के बाबत कब्जे काश्त के बारे में किसी भी तथ्य की कोई जानकारी हासिल नहीं की गई है कि उक्त आराजी पर कौन काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सूचना व सुनवाई के जिस तरह से अपना निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट के पिता स्वर्गीय श्री नन्दकिशोर जी की रजिस्टर्ड विकय पत्र से खरीद की गई आराजी है, स्वर्गीय नन्दकिशोर जी द्वारा उक्त आराजी को दिनांक 10.07.1974 को जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र खरीद की गई है जिसका इन्द्राज उपपंजीयक पिडावा के यहां पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 07, पृष्ठ संख्या 281–82 पर पंजीबद्ध किया गया है तब से उक्त आराजी पर बतौर मालिक काबिज काश्त अपने जीवनकाल तक स्वर्गीय नन्दकिशोर जी रहे और उनके निधन के पश्चात् वर्ष 2012 के पश्चात् अपीलांट उनके वारिस एवं उत्तराधिकारी होने के कारण उक्त आराजी पर बहैसियत मालिक काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वर्गीय नन्दकिशोर जी के वारिसान को पक्षकार बनाये बिना वाद प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छिपाया गया है, न्यायालय को गुमराह करते हुए अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए तथा स्वर्गीय नन्दकिशोर जी के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाकर केवल मात्र अपीलांट कम 3 को पक्षकार बनाते हुए वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया है तथा अपीलांट कम 1 व 2 एवं अपीलांट कम 4 लगायत 7 को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि अपीलांट कम 1 व 2 एवं अपीलांट कम 4 लगायत 7 उक्त अपीलाधीन आदेश से प्रभावित हुए हैं एवं पीड़ित पक्षकार है। इसलिए अपीलांट कम 1 व 2 एवं अपीलांट कम 4 लगायत 7 की ओर से यह

टंकणकर्ता
लेखक
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ★ कोटा ★

अपील प्रस्तुत की जा रही है जिसके लिये अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति के लिये प्रार्थना पत्र धारा 96 सी पी सी अलग से प्रस्तुत कर रहे हैं । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश 29.03.2022 निरस्त फरमाया जावे तथा दोनों पक्षों की बहस सुनी जाकर पुनः नये सिरे से आदेश पारित करने एवं तब तक वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अपीलांट की उक्त पैतृक खरीदशुदा आराजी पर अपीलांट के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने बाबत रेस्पोडेंट कम 1 को पाबन्द किया जावे।

अपीलांट की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी में कथन किया कि प्रार्थीगण अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे, तथा प्रार्थीगण अपीलांट्स को बिना सुने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जिससे प्रार्थीगण अपीलांट्स प्रभावित हुए हैं, इस कारण प्रार्थीगण अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की अपील प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसके लिये प्रार्थीगण अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना अति आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने की अनुकम्पा करें।

हम अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सी पी सी स्वीकार कर अपीलांट कम 1, 2, 4, 5, 6, 7 को पक्षकार बनाना उचित समझते उचित समझते हैं।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.डी. 14.05.2014 पेज 345 से 392 पेश की एवं रजिस्टर्ड विकय पत्र उपपंजीयक पिडावा के यहां पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 07, पृष्ठ संख्या 281–82 की फोटो प्रति तथा मृत्यु प्रमाण पत्र नन्दकिशोर की फोटो प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली की गई ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर. डी. 2016 पेज 92 से 97 पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए तथा स्वर्गीय नन्दकिशोर जी के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाकर केवल मात्र अपीलांट कम 3 को पक्षकार बनाया है जबकि अपीलांट कम 1, 2, 4, 5, 6, 7 को भी पक्षकार बनाकर अपीलाधीन निर्णय पारित करना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा न कर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अतः हम पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान करना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.03.2022 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि सभी पक्षकारों को उचित सुनवाई व साक्ष्य एवं प्रकरण में बिन्दुओं को पुनः सुनवाई कर प्रकरण में नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.01.2023 को उपस्थित होवे ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/9/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा